न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री भंवर भारती पुत्र श्री शम्भुभारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- भूतगांव, तह. व जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, भूतगांव, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. अध्यक्ष, भूतेश्वर मंदिर व्यवस्था समिति, भूतगांव, तह. व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 109/2017

"निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 18 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत जारी नोटिस क्रमांक 132/2016-17 दिनांक 15.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का एक अस्थाई एवं बतौर लाईसेंसी/किरायेदार एक केबिन ग्राम भूतगांव में भूतेश्वर महादेव मंदिर के सामने मेले के लिये आरक्षित तथा मंदिर परसिर की परिधि में लगा हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा विगत कई वर्ष से नियमित रुप से चाय और नास्ते का केंटिन संचालन किया जाता है व इससे होने वाली आय से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी का अस्थाई केबिन भूतेश्वर मंदिर के स्वामित्व व आधिपत्य के परिसर पर लगा हुआ है जिस पर प्रार्थी बतौर लाईसेंसी/किरायेदार काबिज है। उक्त केबिन का किराया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को प्रतिमाह नियमित रुप से भुगतान किया जा रहा है। प्रार्थी उक्त केबिन में कई वर्षो से अप्रार्थी सख्या-2 की सहमति से बतौर किरायेदार काबिज है तथा बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक काबिज होकर उपभोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी का उक्त केबिन जिस स्थान पर लगा हुआ है वह भूमि भूतेश्वर मंदिर के मेले के लिये आरक्षित व मंदिर परिसर की भूमि है जिस पर अन्य किसी व्यक्ति या संस्थान का कोई हक अधिकार नही है तथा न ही किसी व्यक्ति या संस्थान को उक्त परिसर से प्रार्थी को बेदखल करने या कब्जा खाली कराने का हक अधिकार प्राप्त है, फिर भी ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में रखे हुए प्रार्थी के केबिन को हटाने हेतु प्रार्थी को विधि विरुद्ध तरीके से अतिक्रमण बाबत नोटिस दिनांक 15.6.2017 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, भूतगांव ने मौके व रेकर्ड की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 के आधिपत्य व स्वामित्व की भूमि पर

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

प्रार्थी द्वारा बतौर किरायेदार रखे अस्थाई केबिन को हटाने हेतु गलत रुप से नोटिस जारी किया है। प्रार्थी गरीब व समासेवी व्यक्ति है जिसने समय समय पर गांव की जन समस्यों को उजागर कर उनका निस्तारण करवाया है तथा ग्राम में आम रास्तों व सार्वजनिक जगरहों पर हो रहे अतिक्रमणों के खिलाफ आवाज उठाई है जिससे नाराज होकर ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच ने रंजिशवश प्रार्थी के विरुद्ध उक्त नोटिस जारी किया है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नोटिस को निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान दिनांक 27.9.2017 को ग्राम पंचायत, भूतगांव के ग्रामसेवक पदेन सचिव ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर ग्राम पंचायत, भूतगांव के पत्र कमांक 165 दिनांक 15.9.2017 से जवाब प्रस्तुत किया। उसके बाद ग्राम पंचायत, भूतगांव की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। जबकि निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 का जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में ग्राम पंचायत, भूतगांव के पत्र कमांक 165 दिनांक 15.9.2017 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि भंवर भारती पुत्र शंभु भारती द्वारा अतिक्रमण की मंशा से भूतेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में करीब 150 फीट दूरी पर दो केबिन, खंभे, उपर तीरपाल लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है, जहां यह चाय नाश्ते की कंटीन संचालित करता है। चाय केंटीन एवं केबिन मंदिर परिसर में न होकर मेले हेतु स्थित ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है, जहां ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र है, न कि मंदिर टस्ट का है। प्रार्थी का उपरोक्त केबिन भूतेश्वर मंदिर व्यवस्था समिति भूतगांव के स्वामित्व एवं आधिपत्य परिसर में न होकर परिसर से करीब 150 फीट दूरी पर स्थित है जो कि ग्राम पंचायत भूतगांव की सम्पति है, न कि अप्रार्थी संख्या-2 की सम्पति है। मंदिर टस्ट द्वारा इसी रसीद शुल्क लेना इनके अधिकार क्षेत्र में नही है, यह परोक्ष रुप से अतिक्रमियों के होसले बुलंद करने की मिली भगत है। भंवर भारती पुत्र शंभुभारती का अतिक्रमण भूतेश्वर मंदिर परसिर में नही है, परिसर से बाहर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण के रुप में चिन्हित की है एवं ग्राम पंचायत को पंचायती राज कानून के अर्न्तगत अतिक्रमी को बेदखल करने का पूर्ण विधिक अधिकार है। भूतेश्वर मंदिर व्यवस्था समिति के स्वामित्व एवं आधिपत्य का होना मिथ्या तथ्य है एवं इसके कोई विधिक दस्तावेज नही है। जहों मेला लगता है, वहां करारोपण एवं व्यवस्था की निगरानी का प्राधिकार पंचायती राज कानून में ग्राम पंचायत में निहित है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 69 में मेलों पर कर व फीस का संग्रहण ग्राम पंचायत का प्राधिकार है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक दायरे अर्न्तगत ही उक्त नोटिस जारी किया है। प्रार्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के अर्न्तगत अतिक्रमी को बेदखल करने का अधिकार ग्राम

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत को प्रदत्त है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.11.2016 के प्रस्ताव संख्या 6 में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अतिक्रमण को बेदखल करने का संकल्प पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा भूतेश्वर मंदिर समिति की स्वीकृति का पक्ष रखा है जो विधिक नही होने से अतिक्रमण बेदखल करने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 की पूर्णत: पालना की गई है। प्रार्थी गरीब नही है, चौपहीया वाहन होने से खाद्य सुरक्षा की पात्रता भी नही रखता है। प्रार्थी न बी.पी.एल. है, न ही आवासहीन व न ही समाजसेवी है। जन समस्याओं के नाम पर प्रार्थी लोकसेवक एवं जन प्रतिनिधियों से अशिष्ट व्यवहार भी करता है। ग्राम भूतगांव में स्थित विभिन्न अतिक्रमणों को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही से पुलिस इमदाद की मांग भी ग्राम पंचायत द्वारा की जा चुकी है जिनकी उपलब्धि होने पर अतिक्रमण हटाये जाने संभव है। अत: प्रार्थी की निगरानी को रद्द किया जावे।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौराप प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी का अस्थाई एवं बतौर किरायेदार एक केबिन ग्राम भूतगांव में भूतेश्वर महादेव मंदिर के सामने मेले के लिये आरक्षित तथा मंदिर परिसर की परिधि में लगा हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा विगत कई वर्ष से नियमित रुप से चाय और नास्ते का की केंटिन संचालन किया जाता है। जिस पर प्रार्थी बतौर किरायेदार काबिज है। उक्त केबिन का किराया प्रार्थी द्वारा भूतेश्वर मंदिर व्यवस्था समिति, भूतगांव को प्रतिमाह नियमित रुप से भुगतान किया जा रहा है। प्रार्थी उक्त केबिन में कई वर्षो से भूतेश्वर मंदिर व्यवस्था समिति की सहमति से बतौर किरायेदार काबिज है तथा बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक काबिज होकर उपभोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी का केबिन जिस स्थान पर लगा हुआ है वह भूमि भूतेश्वर मंदिर के मेले के लिये आरक्षित व मंदिर परिसर की भूमि है जिस पर अन्य किसी व्यक्ति या ग्राम पंचायत का कोई हक अधिकार नही है तथा न ही किसी व्यक्ति या ग्राम पंचायत को उक्त परिसर से प्रार्थी को बेदखल करने या कब्जा खाली कराने का हक अधिकार प्राप्त है, इसलिये ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी प्रश्नगत नोटिस दिनांक 15.6.2017 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी का केबिन जिस भूमि पर लगा हुआ है वह भूमि भूतेश्वर महादेव मंदिर के स्वामित्व व आधिपत्य की मेला स्थल की भूमि पर लगा हुआ है। भूतेश्वर महादेव मंदिर समिति; भूतगांव द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी को केबिन रखने हेतु किराये पर दी हुई है जिसका प्रार्थी द्वारा मंदिर व्यवस्था समिति को किराया अदा किया जा रहा है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रार्थी भंवर भारती पुत्र श्री शंभु भारती, निवासी- भूतगांव को अतिक्रमण के संबंध में नोटिस कमांक 132/2017'18 दिनांक 15.6.2017 को इस आशय का जारी किया गया है कि "आप द्वारा ग्रा.पं. की आबादी भूमि जो भूतेश्वर मंदिर के सामने स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है, में अतिक्रमण की मंशा से अवैध 2 केबिन

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

लगाकर व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है, पूर्व में भी ग्रा.पं. द्वारा पत्रांक 155/2016, 13.12.2016 द्वारा आपको अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया था, जो अभी भी यथावत है। अत: आपको अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि आगामी 7 दिवस में अपने केबिन व अन्य अवैध सामग्री को हटाकर मेला भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर लें, अन्यथा ग्रा.पं. इन केबिनों को हटाकर अपने कब्जे में ले लेगी।''

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यत: कथन यह है कि ''प्रार्थी का अस्थाई एवं बतौर किरायेदार एक केबिन ग्राम भूतगांव में भूतेश्वर महादेव मंदिर के सामने मेले के लिये आरक्षित तथा मंदिर परिसर की परिधि में लगा हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा विगत कई वर्ष से नियमित रुप से चाय और नास्ते का की केंटिन संचालन किया जाता है। जिस पर प्रार्थी बतौर किरायेदार काबिज है। उक्त केबिन का किराया प्रार्थी द्वारा भूतेश्वर मंदिर व्यवस्था समिति, भूतगांव को प्रतिमाह नियमित रुप से भुगतान किया जा रहा है।'' लेकिन प्रार्थी ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि जिस भूमि पर प्रार्थी द्वारा केबिन लगा रखा है, वह भूमि भूतेश्वर मंदिर व्यवस्था समिति के स्वामित्व व आधिपत्य की हो। जबकि प्रकरण में ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि पर केबिन लगा रखा है, वह भूमि भूतेश्वर मंदिर व्यवस्था समिति, भूतगांव के स्वामित्व व आधिपत्य की नही होकर मंदिर परिसर से करीब 150 फीट दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत, भूतगांव की आबादी भूमि में है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, भूतगांव की आबादी भूमि में अतिक्रमण कर केबिन लगा रखा है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अतिक्रमणों को हटाने हेतु ग्राम पंचायत, अधिकृत है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, भूतगांव द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने बाबत जारी नोटिस विधि सम्मत है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

18.5.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही